

30.12.22

पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में
व्यवस्थित है। इन्होंने होकर पत्रावली
दिनांक 20.01.23 को पेश हो।

20

20.01.23

पत्रावली पेश हुई।

वादी एवं प्रतिवादी पक्ष में से कोई उपस्थित
नहीं।

पर्याप्त भवसर देने के बावजूद प्रतिवादी
पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की
जा रही है।

इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में
से कोई भी प्रकार में पैरवी के प्रति
गंभीर नहीं हैं।

लिहजा वाद अदम पैरवी एवं
अदम राजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

जिहादेक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

